[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

FOREST DEPARTMENT

Notification

The 8th December, 2003

No. S. O. 144/C.A. 53/1972/S. 35/2003.—Whereas it appears to the State Government that the area of Kalesar reserved forest specified below already declared as sanctuary *vide* Haryana Government, Wild Life Preservation Department, notification No. S. O. 157/C.A. 53/1972/S. 26A/92, dated the 18th December, 1992, by reason of its ecological, faunal, floral, geomorphological and zoological association and importance and needed to be constituted as a National Park for the purpose of protecting, propagating and developing wild life therein and its environment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Explanation after sub-section (8) of section 35 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby notifies the area specified below as a National Park from the date of publication of this notification in the Official Gazette :—

Specification

District	Tehsil	Name of Forests	Hadbast No.	Khasra No.	Area in Acres	Boundaries
1	2	3	4	5	6	7
Yanuna Nagar	Chhachh-rauli	Kalesar Reserved Forest	2	1	11570	North : District Sarmor, Himachal Pradesh South : Land in Village Arrayanwala, Nagal Patti Milak East : Himachal Pradesh and Land of village Kalesar West : Forest Bagpat, Khillanwala, Kansli, etc. (Revenue Estate Panjkhol and Khol Darpur)

D. S. DHESI,
Commissioner and Secretary to
Government Haryana,
Forest Department.

हरियाणा सरकार

वन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 8 दिसम्बर, 2003

संख्या का० आ० 144/के० अ० 53/1972/धा० 35/2003.—चूंकि राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि नीचे विनिर्दिष्ट कलेसर आरक्षित वन के क्षेत्र जो हरियाणा सरकार, वन्य प्राणी परिरक्षण विभाग, अधिसूचना संख्या का० आ० 157/के० अ० 53/1972/धा० 26 क/92, दिनांक 18 दिसम्बर, 1992, द्वारा पहले ही वन्य प्राणी विहार के रूप में घोषित है, को इसके पारिस्थितिक, प्राणी-जात, वनस्पति-जात, भू-आकृति विज्ञान-जात तथा प्राणी विज्ञान-जात तथा महत्व के कारण तथा उसमें वन्य जीवों के और उनके पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन तथा विकास के प्रयोजन के लिये राष्ट्रीय उपवन के रूप में गठित किया जाना आवश्यक है;

इसलिये, अब, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का अधिनियम 53), की धारा 35 की उपधारा (8) के बाद व्याख्या द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, नीचे विनिर्दिष्ट क्षेत्र को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से राष्ट्रीय उपवन के रूप में अधिसूचित करते हैं :--

विशिष्टि

जिला	तहसील	वन का नाम	हदबस्त नम्बर	खसरा नम्बर	क्षेत्र एकड़ों में	सीमायें
1	2	3	4	5	6	7
यमुनानगर	छछरौली	कलेसर आरक्षित वन	2	1	11570	उत्तर : जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश दक्षिण : गांव अराईयांवाला, नंगल पट्टी मिल्क में भूमि पूर्व : हिमाचल प्रदेश और गांव कलेसर की भूमि पश्चिम : बागपत जंगल, खिल्लांवाला, कांसली आदि (राजस्व सम्पदा पंजखोल तथा खोल डारपुर)

डी० एस० ढेसी,

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
वन विभाग।

...mmaer of India,
New Delhi.